संशोधित अनुमान 2009-2010

वर्ष 2009-10 के लिए व्यय के संशोधित अनुमानों में बजट अनुमानों की तुलना में 709 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि दर्शायी गई है। आयोजना-भिन्न व्यय में 10,862 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी गई है, वहीं आयोजना व्यय में 9,973 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। जिन प्रमुख मदों में घट-बढ़ हुई, है उन्हें नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपए)

		बजट 2009-10	संशोधित 2009-10	घट-बढ़ बचत(-)/ आधिक्य(+)
आयोजना-भिन्न				
1.	पेट्रोलियम सब्सिडी	3109	14954	(+) 11845
2.	पेंशन	34980	42232	(+) 7252
3.	खाद्य सब्सिडी	52490	56002	(+) 3512
4.	उर्वरक सब्सिडी	49980	52980	(+) 3000
5.	अन्य सब्सिडियां	3096	4370	(+) 1274
6.	शिक्षा	7779	8721	(+) 942
7.	ब्याज संदाय और ऋण शोधन	225511	219500	(-) 6011
8.	आयोजना-भिन्न पूंजी परिव्यय (रक्षा को छोड़कर)	21056	15338	(-) 5718
9.	रक्षा सेवा व्यय	141703	136264	(-) 5439
10.	राज्यों को आयोजना-भिन्न अनुदान	47519	45447	(-) 2072
11.	अन्य आयोजना भिन्न व्यय	108466	110563	(+) 2097
जोड़ (आयोजना-भिन्न) व्यय		**695689**	**706371**	(+) **10682**
आयोजना				
1	केन्द्रीय आयोजना	239840	229164	(-) 10676
2	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	85309	86012	(+) 703
जोड़ (आयोजना) व्यय		**325149**	**315176**	(-) **9973**
कुल व्यय (आयोजना + आयोजना-भिन्न)		**1020838**	**1021547**	(+) **709**

आयोजना-भिन्न

1. यह वृद्धि मुख्यतया तेल विपणन कम्पनियों को अधिक पेट्रोलियम सब्सिडी देने के कारण है।
2. यह वृद्धि मुख्यतया सिविल और रक्षा पेंशनों दोनों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण है।
3. यह वृद्धि मुख्यतया बीपीएल परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस विकेन्द्रीकृत अधिप्राप्ति प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को भुगतान और राज्यों को अनाज के बढ़े हुए आवंटन के कारण है।
4. वृद्धि मुख्यतया स्वदेशी यूरिया और विकेन्द्रीकृत उर्वरकों की उच्चतर आर्थिक लागत के कारण है।
5. यह वृद्धि मुख्यतया नेफेड और सीसीआई को कपास की अधिप्राप्ति के लिए उच्चतर सब्सिडी के कारण है।
6. यह वृद्धि मुख्यतया छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण हुई।
7. ब्याज भुगतान में बचतों के कारण।
8. अनुसंधान (पुलिस), सीबीडीटी के लिए कार्यालय और रिहायशी भवनों की खरीद तथा एनआईएफ के निवेश के लिए भुगतान पर पूंजी परिव्यय के लिए न्यूनतर आवश्यकता के कारण है।
9. आवश्यकताओं के आधार पर पूंजी परिव्यय में कमी।
10. समग्र तौर पर यह कमी कार्यनिष्पादन के आधार पर और सीएसटी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के कारण राजस्व हानियों हेतु राज्यों को प्रतिपूर्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों हेतु कम प्रावधान के निवल प्रभाव के कारण है।

आयोजना

1. यह समग्र कमी परमाणु ऊर्जा, रसायन और पेट्रोरसायन, नागर विमानन, शहरी विकास, महिला तथा बाल विकास, युवा मामले और खेल में वृद्धि तथा सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा वन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्कूली और उच्चतर शिक्षा, सूचना व प्रसारण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, योजना, विद्युत और जनजातीय कार्य के अंतर्गत कमी के निवल प्रभाव के कारण है।
2. समग्र वृद्धि विशेष आयोजना सहायता, विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों के बुनियादी ढांचे में बढ़ोत्तरी तथा पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कमी के निवल प्रभाव के कारण है।